न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वादश, गोपालगंज

जमानत आवेदन संख्या–128 / 2026

कटेया थाना कांड सं0–76 / 2025

संजय पासी उर्फ संजय कुमार पासी ..... आवेदक

बनाम

बिहार सरकार ..... विपक्षी पक्ष

आवेदक के तरफ से श्री राजेश कुमार वर्णवाल, विद्वान अधिवक्ता।

बिहार सरकार के तरफ से श्री देव वंश गिरि, लोक अभियोजक

06.04.2026

काराधीन अभियुक्त संजय पासी उर्फ संजय कुमार पासी दिनांक–01.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है, जो कटेया थाना कांड संख्या – 76/2025 अन्तर्गत धारा – 126(2), 115(2), 117(2), 109(1), 303(2), 351(2), 3(5) बी.एन.एस. के अभियुक्त हैं, के तरफ से दाखिल जमानत आवेदन उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा संचालित किया गया।

उभय पक्ष को सुना ।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–द्वादश के यहॉ से खारिज किया जा चुका हैं एवं माननीय उच्च न्यायालय पटना से भी खारिज किया जा चुका हैं। आवेदक को कोई अपराधिक इतिहास नहीं हैं। आवेदक को इस वाद में झूठा फसाया गया हैं। उभयपक्षों के बीच में जमीनी विवाद हैं। अभियोजन की कहानी झूठी और बनावटी हैं। आवेदक को इस वाद में झूठा फसाया गया हैं। आवेदक बंधपत्र दाखिल करने के लिए तैयार हैं अतः इन्हें जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा आवेदक के जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि सूचिका अपने घर पर कार्य कर रही थी साथ में दो बच्चे नितेश कुमार पासी एवं कविता कुमारी ये दोनो अपने दरवाजे पर कार्य कर रहे थे। तभी दिनांक–15.02.2025 को समय करीब 07:00 बजे रात्री घात लगाकर लूट की नियत से चार से पॉच की संख्या में अज्ञात व्यक्ति जिसमें से संजय पासी, विजय पासी हाथ में रड लेकर सूचिका के सर पर तबा–तोड़ वार करने

लगे और इनका सर फट गया और ये खून से लथपथ हो गयी। तभी इन्हें बचाने के लिए इनके बच्चे नितेश और कविता आई तभी संजय पासी ने जान से मारने के नियत से इनके सर पर वार किये और विजय पासी ने इनके घर से पॉच हजार लूट ले गया। विजय पासी ने रड से इनके बच्चो पर वार किया जिससे उनका गर्दन की हड्डी टूट गयी। जब ये आवाज लगाई तो कुछ ग्रामिण ने इनकी जान बचाई। विजय पासी ने रड से वार कर इनकी बेटी कविता कुमारी की दाहिने हाथ की हड्डी तोड़ दिये। ग्रामिणों के आते देख ये अपराधी लोग भाग गये। ग्रामिणों के द्वारा इनको और इनके बच्चें को रेफरल अस्पताल कटेया में ईलाज कराया गया। स्थिति गभीर होने के कारण इन्हें सदर अस्पताल गोपालगंज रेफर कर दिया गया।

अभिलेख का अवलोकन किया। कांड दैनिकी प्राप्त हैं। निम्न न्यायालय का अभिलेख भी प्राप्त हैं। आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं हैं। आवेदक पर आरोप हैं कि सूचिका के बच्चे कविता एवं नितेश पर जख्म कारित किये। जख्म साधारण प्रकृति के हैं। अभियुक्त दिनांक–01.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक संजय पासी उर्फ संजय कुमार पासी के तरफ से मो0 **दस हजार** रूपये का बंध पत्र के साथ उसी समान राशि के **दो** प्रतिभू दाखिल करने पर तथा निम्न न्यायालय के संतुष्टि पर आवेदक का जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

जिला एवं **अपर सत्र न्यायाधीश द्वादश**

गोपालगंज

दिनांक–06.04.2026